न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—रमेश देव (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक
नम्बर मुकदमा — 307/2021 निर्णय दिनांकः— 20.12.2022

जसकरण सिह पुत्र कृपाल सिह जाति जटसिख सा.खैरूवाला तह.सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

वादी

बनाम

1 बलकरण सिह पुत्र कृपाल सिह जाति जटसिख सा. खैरूवाला तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
2 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू — अधिवक्ता वादी
श्री गुरमीत सिह कलसी — अधिवक्ता प्रति स.1

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादी की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादी व प्रति स. 1 दोनो सगे भाई है। जो की कृपाल सिह के वारिसान है। वादी व प्रति स. के नाम चक 24 ए.एम. पी. खाता स. 13/15 खाता मनजीतइन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2071—74 में सांझा खाता में 0.506 है0 आराजी तथा चक 26 ए.एम.पी. खाता स. 42/40 खाता जसकरण सिह वगैरा ज.स. 2073—76 में सांझा खाता में कुल 1.519 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।दावा की दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादी व प्रति स. 1 के नाम सांझा खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रति स. 1 ने अपने हिस्सा की आराजी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर में प्राप्त कर ली है। इसलिए प्रति स. 1 उक्त वादग्रस्त आराजी में अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। अतः उक्त वादग्रस्त आराजी मे प्रति स. 1 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी एव दावेदार है। वादी दावा की दफा 3 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। लेकिन उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारें पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादी को दावा की दफा 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे मेरे नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण हैं।अतः चक 24 ए.एम.पी. खाता स. 13/15 खाता मनजीतइन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2071—74 में 0.506 है0 आराजी का वादी जसकरण सिह पुत्र कृपाल सिह खातेदार काश्तकार है तथा चक 26 ए.एम.पी. खाता स. 42/40 खाता जसकरण सिह वगैरा ज.स. 2073—76 मे 1.519 है0 आराजी का वादी जसकरण सिह पुत्र कृपाल सिह खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है।

20/12
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

अतः उक्त वादग्रस्त आराजी वादी जसकरण सिह पुत्र कृपाल सिह के नाम दर्ज की जाकर प्रति स. 1 बलकरण सिह पुत्र कृपाल सिह का नाम कलमजन किया जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रति स. 1 ने जरिये अधिवक्ता सहमति का जवाब दावा पेश किया। जो शामिल मिसल है।प्रति स. 2 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में वादी जसकरण सिह का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादी अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण ने काशत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परस्पर सहमति से घरू विभाजन वादग्रस्त आराजी का कर लिया है तथा उसी अनुसार मौका पर काश्त कर रहे है। कब्जा काश्त के संबंध मे कोई विवाद नही है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी मुताबिक बंटवारा वादी के नाम से दर्ज नही होने से खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड रहा है। वादी के का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 24 ए.एम.पी. खाता स. 13/15 खाता मनजीतइन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2071–74 में सांझा खाता में 0.506 है0 आराजी तथा चक 26 ए.एम.पी. खाता स. 42/40 खाता जसकरण सिह वगैरा ज.स. 2073–76 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है।वादी के वाद का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 24 ए.एम.पी. खाता स. 13/15 खाता मनजीतइन्द्र सिह वगैरा ज. स. 2071–74 में 0.506 है0 आराजी का वादी जसकरण सिह पुत्र कृपाल सिह खातेदार काश्तकार है तथा चक 26 ए.एम.पी. खाता स. 42/40 खाता जसकरण सिह वगैरा ज.स. 2073–76 मे 1.519 है0 आराजी का वादी जसकरण सिह पुत्र कृपाल सिह खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है। अतः उक्त वादग्रस्त आराजी वादी जसकरण सिह पुत्र कृपाल सिह के नाम दर्ज की जाकर प्रति स. 1 बलकरण सिह पुत्र कृपाल सिह का नाम कलमजन किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निज ..X.. मुब्लिक ..X.. बाबत ..X.. खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..X.. को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 20.12.2022 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

20/12

(रमेश देव)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सगरिया

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

जसकरण सिह पुत्र कृपाल सिह जाति जटसिख सा.खैरूवाला तह.सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

वादी

बनाम

1 बलकरण सिह पुत्र कृपाल सिह जाति जटसिख सा. खैरूवाला तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

2 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादी

श्री गुरमीत सिह कलसी – अधिवक्ता प्रति स.1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मु. स. 307/2021 दावा अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू एड. वादी व श्री गुरमीत सिह कलसी एड. प्रति स. 1 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 24 ए.एम.पी. खाता स. 13/15 खाता मनजीतइन्द्र सिह वगैरा ज.स. 2071–74 में 0.506 है0 आराजी का वादी जसकरण सिह पुत्र कृपाल सिह खातेदार काश्तकार है तथा चक 26 ए.एम.पी. खाता स. 42/40 खाता जसकरण सिह वगैरा ज.स. 2073–76 मे 1.519 है0 आराजी का वादी जसकरण सिह पुत्र कृपाल सिह खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है। अतः उक्त वादग्रस्त आराजी वादी जसकरण सिह पुत्र कृपाल सिह के नाम दर्ज की जाकर प्रति स. 1 बलकरण सिह पुत्र कृपाल सिह का नाम कलमजन किया जावे।

निज.....X..... मुब्लिक.....X..... बाबत.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 20.12.2022 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

20/12/22

(रमेश देव)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner